न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रकरण सं. 65/2016

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड जिला अजमेर। .....अपीलार्थी

बनाम

1. बालीदेवी बेवा भैंरू
2. शंकर पुत्र भैरूं
3. राजकुमार (ना0बा0)पुत्र भैरूं
4. हंसा पुत्री भैरू
5. कर्मा पुत्री भैरू
6. नौरती (ना.बा.) पुत्री भैरू समस्त कौम रेगर निवासी सांडला तहसील देवली जिला टौंक
7. हंसराज पुत्र लादू कौम बैरवा निवासी उगान खेडा तहसील केकडी
8. शंकरलाल पुत्र रामकरण कौम बैरवा निवासी सुन्दरपुरा तहसील सावर
9. धर्मेन्द्र पुत्र रामपाल कौम नायक निवासी केकडी तहसील केकडी
10. पीयूषकुमार पुत्र गोपीलाल कौम धोबी निवासी केकडी तहसील केकडी।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश **दिनांक 11.12.2019**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम अजगरी के खसरा नं0 181/1 रकबा 4–14–00 बीघा किस्म बा0 2, खसरा नं0 181/2 रकबा 3–11–00 किस्म बा0 2, खसरा नं0 185 रकबा 13–19–00 में से रकबा 13–10–00 बीघा किस्म बा0 2 कुल किता 03 रकबा 21–15–00 को जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ12(सी)/09/66 दिनांक 5.6.2009 की अनुपालना में ग्राम अजगरी के नामान्तरकरण संख्या 517 दिनांक 31.8.2010 के द्वारा बीसलपुर परियोजना देवली के विस्थापितों को कृषि भूमि आवंटन हेतु आरक्षित किया गया। अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के आदेश क्रमांक–437 दिनांक 26.06.2013 के द्वारा ग्राम अजगरी के खसरा सं0 185 रकबा 6–14–00 बीघा (1.08 हैक्टयर) अप्रार्थी संख्या 01 से 06 क्रमशः बालीदेवी बेवा भैरू, शंकर पुत्र भैरू, राजकुमार (ना.बा.) पुत्र भैरू, हंसा,कर्मा पुत्रियां भैरू, नौरती (ना.बा.) पुत्री भैरू कौम रेगर निवासी सांडला तहसील देवली जिला–टौंक को आवंटित की गई। तहसीलदार सरवाड के आदेश क्रमांक 4995 दिनांक 25.10.2013 के द्वारा आवंटित भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 701 दिनांक 1.11.2013 से राजस्व रेकार्ड में आवंटियों के नाम दर्ज की गई। आवंटियों द्वार आवंटित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.11.2013 रकबा 01–15–00 बीघ

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

श्री हंसराज पुत्र लादू कौम बैरवा निवासी उगानखेडा तहसील केकडी को तथा रकबा 4–19–00 बीघा भूमि शंकरलाल पुत्र रामकरण कौम बैरवा निवासी सुन्दरपुरा तहसील केकडी को विक्रय की गई। क्रेता शंकरलाल पुत्र रामकरण बैरवा द्वारा क्रय की गई भूमि रकबा 4–19–00 बीघा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.9.2014 द्वारा धर्मेन्द्र पुत्र रामपाल कौम नायक निवासी केकडी एवं पीयूषकुमार पुत्र गोपीलाल कौम धोबी निवासी केकडी को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तरकरण क्रमशः 720, 721 दिनांक 06.01.2014 व नामान्तरकरण संख्या 768 दिनांक 02.10.2014 ग्राम पंचायत रामपाली द्वारा स्वीकृत किया गया। अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के आदेश क्रमांक–434 दिनांक 30.08.2016 के द्वारा निर्देशित किया गया कि उनके कार्यालय द्वारा उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 31.5.2013 के पश्चात किये जाने के कारण उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 5.6.2011 के द्वारा नगरपालिका क्षैत्र केकडी के नगरीय क्षैत्र में ग्राम अजगरी को सम्मिलित किये जाने एवं नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.5.2013 के द्वारा नगरपालिका क्षैत्र केकडी के मास्टर प्लान का अनुमोदन होने के कारण राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के आदेश क्रमांक प.6 (7)/राज–4/77/2 दिनांक 11.1.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकाय के पैराफेरी क्षैत्र में स्थित सरकारी भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 के द्वारा आवंटित भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 07 से 08 के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 08 द्वारा उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 9 से 10 को किये जाने के फलस्वरूप क्रम संख्या 07 से 10 पर उन्हें पक्षकार बनाया गया है। अतः ग्राम अजगरी के नामान्तरकरण संख्या 701 दिनांक 1.11.2013 व नामान्तरकरण संख्या 720, 721 दिनांक 06.01.2014, नामान्तरकरण संख्या 768 दिनांक 2.10.2014 तथा आवंटन आदेश दिनांक 26.6.2013 नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 10 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। सुनवाई चाहने पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि बीसलपुर परियोजना देवली के विस्थापितों को कृषि भूमि आवंटन हेतु ग्राम अजगरी के खसरा नं0 181/1, खसरा नं0 181/2, खसरा नं0 185 में से रकबा 13–10–00 बीघा किस्म बा0 2 कुल किता 03 रकबा 21–15–00 भूमि को आरक्षित किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ12(सी)/09/66 दिनांक 5.6.2009 की अनुपालना में ग्राम अजगरी के कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के आदेश क्रमांक–437 दिनांक 26.06.2013 के द्वारा ग्राम अजगरी के खसरा सं0 185 रकबा 6–14–00 बीघा (1.08 हैक्टयर) भूमि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 को आवंटित की गई। आवंटित भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 701 दिनांक 1.11.2013 से राजस्व रेकार्ड में आवंटियों के नाम दर्ज की गई। आवंटियों द्वारा आवंटित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.11.2013 रकबा 01–15–00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 07 को तथा रकबा 4–19–00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 08 को विक्रय की गई। क्रेता अप्रार्थी संख्या 08, शंकरलाल पुत्र रामकरण बैरवा द्वारा क्रय की गई भूमि रकबा 4–19–00 बीघा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.9.2014 द्वारा अप्रार्थी संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

...10 को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तरकरण क्रमशः 720, 721 दिनांक 06.01. ...व नामान्तरकरण संख्या 768 दिनांक 02.10.2014 ग्राम पंचायत रामपाली द्वारा ...कृत किये गये। अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली द्वारा निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 31.5.2013 के पश्चात किये जाने के कारण उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 5.6.2011 के द्वारा नगरपालिका क्षैत्र केकडी के नगरीय क्षैत्र में ग्राम अजगरी को सम्मिलित किये जाने एवं नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.5.2013 के द्वारा नगरपालिका क्षैत्र केकडी के मास्टर प्लान का अनुमोदन होने के कारण राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के आदेश कमांक प.6 (7)/राज–4/77/2 दिनांक 11.1.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकाय के पैराफेरी क्षैत्र में स्थित सरकारी भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः ग्राम अजगरी के नामान्तरकरण संख्या 701 दिनांक 1.11.2013 व नामान्तरकरण संख्या 720, 721 दिनांक 06.01.2014 व नामान्तरकरण संख्या 768 दिनांक 2.10.2014 तथा आवंटन आदेश दिनांक 26.6.2013 नियम विरूद्ध होने से रेफरेन्स स्वीकार फरमाते हुए आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रकरण मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर प्रेषित किया जावें।

हमने राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम अजगरी को राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका क्षैत्र केकडी के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने एवं मास्टर प्लान का अनुमोदन होने के कारण राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के आदेश कमांक प 6(7)/राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकायों के पेराफैरी क्षैत्रों में स्थित सरकारी भूमि, आवंटन/नियमन योग्य नहीं होने से नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम अजगरी के खसरा सं0 185 रकबा 6–14–00 बीघा (1.08 हैक्टयर) भूमि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 को किया गया आवंटन एवं इसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 701 दिनांक 1.11.2013, नामान्तरकरण संख्या 720, 721 दिनांक 06.01.2014 तथा नामान्तरकरण संख्या 768 दिनांक 2.10.2014 निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 06 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन एवं उक्त आवंटन की अनुपालना में स्वीकृत नामान्तरकरण सख्या 701 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 720, 721 व 768 नियमों में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त फरमाये जाने के साथ ही विवादित भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण अन्तगर्त धारा, 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner